न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 151 / 2019 / दावा 136 एलआरएक्ट

दानाराम कुमावत पुत्र श्री बोदूराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 1 कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य   दिनांक — 28.11.2022

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ख.नं. 337 रकबा 0.51 है0, ख.नं. 338 रकबा 0.02 है0, ख.नं. 339 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 340 रकबा 0.06 है0, ख.नं. 341 रकबा 0.33 है0, ख.नं. 342 रकबा 0.35 है0, ख.नं. 342 / 2567 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 396 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 404 रकबा 1.36 है0, ख.नं. 405 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 406 रकबा 0.10 है0, ख.नं. 411 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 412 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 413 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 414 रकबा 0.01 है0, ख.नं. 420 रकबा 1.70 है0, ख.नं. 421 रकबा 0.28 है0, ख.नं. 422 रकबा 064 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 5.72 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी का 1 / 30 हक हिस्सा है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादी के नाम काना पुत्र बोदू जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम दानाराम है। वादी का सही व वास्तविक नाम दानाराम है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक में वादी

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

का नाम दानाराम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम दानाराम की जगह काना दर्ज हो गया है जो गलत है। काना की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम दानाराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर ख.नं. 337 लगायत 342, 342/2567, 396, 404, 405, 406, 411 लगायत 414, 420, 421, 422 कुल किता 18 कुल रकबा 5.72 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम काना के स्थान पर दानाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम काना के स्थान पर दानाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि पटवारी रिर्पोट अनुसार ग्राम कोछोर पटवार मण्डल कोछोर के खाता संख्या 356 में राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादी का नाम काना पुत्र बोदू हि. 1/30 दर्ज है। पटवारी रिर्पोट अनुसार वादी काना पुत्र बोदू का उक्त नाम बोदूराम कि विरासत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। पटवारी रिर्पोट अनुसार वादी का नाम विधालय दस्तावेजों, राषन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

पंचायत कोछोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम दानाराम पुत्र बोदूराम दर्ज है तथा काना पुत्र बोदू व दानाराम पुत्र बोदूराम दोनो एक हि व्यक्ति है। पटवारी रिर्पोट अनुसार सरंपच ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व फर्द मौका रिर्पोट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में काना पुत्र बोदू के स्थान पर दानाराम पुत्र बोदूराम शुद्व किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 337 लगायत 342, 342/2567, 396, 404, 405, 406, 411 लगायत 414, 420, 421, 422 कुल किता 18 कुल रकबा 5.72 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम काना के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम दानाराम उर्फ काना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़